Notes by Dr Ram Lochan Mishra

Associate Professor

Head of Commerce department

J K college Biraul Darbhanga

B. Com part-3. Hons paper- vii Taxation theory and practice

Lecture -2

कृषि आय के संबंध में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

- **भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए यदि भूमि भारत से बाहर स्थित है तो ऐसी भूमि की आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी**

- **भूमि को कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए अर्थात भूमि को जितना पानी देना बीज बोना आदि क्रियाओं की जानी चाहिए अतः भूमि पर सुबह हो गई घास बेचने से होने वाली आय राष्ट्रीय आय नहीं मानी जाएगी**

- भूमि से आय प्राप्तकर्ता का भूमि इसमें कुछ होना चाहिए भूस्वामी या किराएदार या बोल बंधक दार का हित भूमि में माना जाता है अतः तैयार फसल को खरीद कर उसे काट कर बेचने से होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी

- किसी भी आए को कृषि आए तभी माना जाएगा जब वह अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से प्राप्त हो किसी से अप्रत्यक्ष आए किसी ने नहीं मानी जाएगी जैसे कृषि फार्म के मैनेजर का वेतन कृषि कार्यों में लगी कंपनी के प्राप्त लाभांश कृषि आय नहीं मानी जाएगी

- कृषि भूमि के विक्रय से होने वाला लाभ कृषि आय नहीं कहलाती

कृषि आय के प्रकार

आयकर अधिनियम की धारा 2 (IA) मैं प्रदेश कृषि आय की उपयुक्त वर्णित परिभाषा के आधार पर कृषि आय को निम्नलिखित पांच भागों में विभक्त किया जा सकता है:

1. भूमि से प्राप्त किराया अथवा Lagaan – यदि भूमि का स्वामी अपनी भूमि को कृषि कार्यों में उपयोग कराने के लिए भूमि का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है तो उसके बदले में उसे जो किराया अथवा Lagaan मिलता है वह उसकी कृषि आय होती है
2. भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय - भूमि पर किसी भी व्यक्ति भूस्वामी किराएदार भूमि गिरवी रखने वाले या अन्य कोई व्यक्ति के द्वारा कृषि कार्य करने के परिणामस्वरूप जो आय प्राप्त होगी वह किसी और कहलाएगी किसी क्रिया से आश्य भूमि जोतने पानी देने बीज बोने फसल उगाने आदि क्रियाओं के करने से है

3. भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से होने वाली आय - भूमि से प्राप्त उपज कभी-कभी विक्रय योग्य नहीं होती अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए जो प्रतिक्रिया करता है और उससे जो आय होती है

कृषि आय. मानी जाती है जैसे तंबाकू को उसी आदि को बेचने योग्य बनाने की क्रिया

4. कृषक द्वारा कृषि की उपज को विक्रय करने से प्राप्त आय - किसान द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई अथवा किराए के रूप में प्राप्त उपज को बाजार में बेचने अथवा अपनी स्वयं की दुकान पर बेचने से होने वाली आय किसे आय कहलाती है

5. किसी कार्य में प्रयुक्त कृषि भवन से आय - वह भवन जो कृषि भूमि पर अथवा उसके अत्यधिक निकट स्थित है तथा कृषक अथवा किराए प्राप्त करने वाले के द्वारा निवास स्थान भंडार गृह या भारी मकान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसी भवन कहलाता है ऐसे भवन से अर्जित आय भी कृषि आय कहलाती है

6. अन्य किसी आय - उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार की आय को किसे माना जाता है किसी और के प्रयुक्त वर्षों से जुड़ने हेतु श्रम योगी हुई घास अथवा जंगल को किराए में देने से आए

यदि किसी भूमि को बंधक रखकर किसी व्यक्ति ने लिख दिया हो तो बंधक रखने वाले व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का किराया